न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

दा0खा0 पुनरीक्षण वाद सं0– 04 / 2008–09

बेंजामिन उरांव वगै0
बनाम
दिनेश प्रसाद वगै0

आदेश

अपीलार्थी बेंजामिन उरांव वगैरह वल्द स्व0 जुनास उरांव एवं सेवेस्टीयन उरांव वल्द तारसियुस उरांव ग्राम – डांड़गुरदा, थाना – सिमडेगा, जिला – सिमडेगा ने उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सिमडेगा के दा0खा0 अपील संख्या 14 / 2008 (परमेश्वर साहू बनाम बेंजामिन उरांव वगै0) में दिनांक 18.11.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील रिविजन दायर किया है।

इस अपील वाद की विवादित भूमि मौजा कोंगसेरा थाना – सिमडेगा के खाता नं0 22 प्लॉट नं0 442 रकबा 1.00 एकड़ भूमि से संबंधित है। यह वाद भैयादि बंटवारा से संबंधित है।

यह वाद दिनांक 12.02.2009 को प्रारम्भ किया गया। सुनवाई के पश्चात् दिनांक 17.09.2009 को रिविजन वाद अंगीकृत किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत कर जवाब की मांग की गई।

दिनांक 28.10.2010 को अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिया गया कि उत्तरवादी परमेश्वर साहू की मृत्यु दिनांक 26.08.2010 को हो चुकी है। इसलिए उनके स्थान पर उनके पुत्र दिनेश प्रसाद, विजय प्रसाद, उदय प्रसाद तथा ललन प्रसाद को पक्षकार बनाया जाय। आवेदक के आवेदन पर उत्तरवादी के पुत्रों को पक्षकार बनाया गया।

इस वाद में दिनांक 15.10.2015 को उभय पक्ष की ओर से संयुक्त रूप से एक समझौता पत्र दाखिल किया गया।

दिनांक 01.01.2021 को विपक्षी की ओर से संतोष कुमार पिता – स्व0 दिनेश प्रसाद ग्राम – बीरू थाना + जिला – सिमडेगा ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि उनके पिता दिनेश प्रसाद की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 21.12.2020 को हो गई है इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया जाय। उनके आवेदन को स्वीकृत कर पक्षकार बनाया गया।

इस वाद में अपीलार्थी बहुत दिनों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दिनांक 21.01.2021 को भी अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं विपक्षी उपस्थित रहे। वाद को आदेश पर रखा गया।

इस अपील रिविजन का फैसला मुख्यतः दिनांक 15.10.2015 को उभय पक्ष के संयुक्त राजीनामा के आधार पर किया जाना है।

अतः उभय पक्ष के द्वारा दाखिल दिनांक 15.10.2015 के सुलहनामा को स्वीकार किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

31.01.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

31.01.21

उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 12:34:25 +05:30
Location: 192.168.112.67